न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 256 सन 2022

अनवान :–

1. कमला पत्नी कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सन्दीप कुमार पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. सुमन पुत्री कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 27/06/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 304/269 की कुल 14.9640हैक में से 827/29928 हिस्सा व रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 177/269 की कुल 9.3580हैक भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि राजेश पुत्र कन्हैयालाल तथा रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 113/104 की कुल 3.2640हैक में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कन्हैयालाल पुत्र सुरजमल के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कन्हैयालाल पुत्र सुरजमल के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है कन्हैयालाल पुत्र सुरजमल का देहान्त हो चुका है कन्हैयालाल पुत्र सुरजमल के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं एक पुत्र राजेश है जो कन्हैयालाल पुत्र सुरजमल के नाम से दर्ज भूमि को विरास्तन से अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा राजेश लावल्द फोत हो चुका है राजेश के हक हिस्सा की भूमि की वादीया जो राजेश की माता है प्रथम श्रेणी की हकदार है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में राजेश पुत्र कन्हैयालाल व कन्हैयालाल पुत्र सुरजमल के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीया का पुत्र है तथा प्रतिवादी संख्या 2 वादी की पुत्री है एवं कन्हैयालाल पुत्र सुरजमल की पत्नी/पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीया के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की राजेश पुत्र कन्हैयालाल एवं कन्हैयालाल पुत्र सुरजमल जो वादीया के मृतक पति /पुत्र का है के नाम से दर्ज भूमि को वादीया खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वाद भूमि राजेश पुत्र कन्हैयालाल एवं कन्हैयालाल पुत्र सुरजमल के नाम से दर्ज है जो वादीया के पति /पुत्र एंव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का भाई/पिता है राजेश पुत्र कन्हैयालाल लावल्द फोत हो चुका हे

Scanned with OKEN Scanner

जिसके हक हिस्सा की भूमि की वादीया प्रथम श्रेणी की वारिस है व कन्हैयालाल वादीया के पति एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पिता के नाम दर्ज भूमि के वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 हकदार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने माता वादीया के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 304/269 की कुल 14.9640हैक में से 827/29928 हिस्सा व रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 177/269 की कुल 9.3580हैक भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि राजेश पुत्र कन्हैयालाल तथा रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 113/104 की कुल 3.2640हैक में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कन्हैयालाल पुत्र सुरजमल के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कन्हैयालाल पुत्र सुरजमल के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है कन्हैयालाल पुत्र सुरजमल का देहान्त हो चुका है कन्हैयालाल पुत्र सुरजमल के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं एक पुत्र राजेश है जो कन्हैयालाल पुत्र सुरजमल के नाम से दर्ज भूमि को विरास्तन से अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा राजेश लावल्द फोत हो चुका है राजेश के हक हिस्सा की भूमि की वादीया जो राजेश की माता है प्रथम श्रेणी की हकदार है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में राजेश पुत्र कन्हैयालाल व कन्हैयालाल पुत्र सुरजमल के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीया का पुत्र है तथा प्रतिवादी संख्या 2 वादी की पुत्री है एवं कन्हैयालाल पुत्र सुरजमल की पत्नी/पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीया के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 304/269 की कुल 14.9640हैक में से 827/29928 हिस्सा व रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 177/269 की कुल 9.3580हैक भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि राजेश पुत्र कन्हैयालाल तथा रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 113/104 की कुल 3.2640हैक में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कन्हैयालाल पुत्र सुरजमल के नाम सें दर्ज है।

वादीया का कथन है कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वाद भूमि राजेश पुत्र कन्हैयालाल एवं कन्हैयालाल पुत्र सुरजमल के नाम से दर्ज है जो वादीया के पति /पुत्र एंव प्रतिवादी

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 1 ,2 का भाई/पिता है राजेश पुत्र कन्हैयालाल लावल्द फोत हो चुका हे जिसके हक हिस्सा की भूमि की वादीया प्रथम श्रेणी की वारिस है व कन्हैयालाल वादीया के पति एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पिता के नाम दर्ज भूमि के वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 हकदार है वादीया के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की राजेश पुत्र कन्हैयालाल के हक हिस्सा की भूमि की वादीया एवं कन्हैयालाल पुत्र सुरजमल के हक हिस्सा की भूमि वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादीया का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने माता वादीया के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है वादीया के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 304/269 की कुल 14.9640हैक में से 827/29928 हिस्सा व रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 177/269 की कुल 9.3580हैक भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि राजेश पुत्र कन्हैयालाल के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 113/104 की कुल 3.2640हैक में से 1/4 हिस्सा भूमि कन्हैयालाल पुत्र सुरजमल के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with OKEN Scanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. कमला पत्नी कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 सन्दीप कुमार पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. सुमन पुत्री कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 256 सन 2022 निर्णय दिनांक– 27/04/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 304/269 की कुल 14.9640हैक में से 827/29928 हिस्सा व रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 177/269 की कुल 9.3580हैक भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि राजेश पुत्र कन्हैयालाल के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 113/104 की कुल 3.2640हैक में से 1/4 हिस्सा भूमि कन्हैयालाल पुत्र सुरजमल के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with OKEN Scanner